# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार आई. ए. एस.**
**राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./41/2025/बाड़मेर**

| अपीलांट्स | रेस्पोडेंट्स |
|---|---|
| **मोतीराम के वारिसान–**<br>1. हरीराम पुत्र राऊराम, उम्र 40 वर्ष<br>2. प्रभुराम पुत्र राऊराम, उम्र 35 वर्ष<br>3. जेठाराम पुत्र राऊराम, उम्र 30 वर्ष<br>4. मूलीदेवी पत्नी राऊराम, उम्र 30 वर्ष<br>5. ठाकराराम पुत्र लिक्षमणराम, उम्र 55 वर्ष<br>**फूसाराम के वारिसान–**<br>6. मेघाराम पुत्र जगराम, उम्र 51 वर्ष<br>7. देराजराम पुत्र जगराम, उम्र 47 वर्ष<br>8. दूदाराम पुत्र जगराम, उम्र 38 वर्ष<br>9. गजरोदेवी पत्नी जगराम, उम्र 70 वर्ष<br>10. वालाराम पुत्र सोनाराम, उम्र 55 वर्ष<br>11. नारणाराम पुत्र सोनाराम, उम्र 50 वर्ष<br>12. कुम्भाराम पुत्र सोनाराम, उम्र 47 वर्ष<br>13. जेठाराम (प्रथम)पुत्र सोनाराम, उम्र 42 वर्ष<br>14. जेठाराम(द्वितीय) पुत्र सोनाराम, उम्र 35 वर्ष<br>15. नेनूदेवी पत्नी सोनाराम, उम्र 35 वर्ष<br>16. कौशलाराम के वारिसान–<br>16/1. मगा पुत्र कौशला, उम्र 48 वर्ष<br>16/2. पुनमा पुत्र कौशला, उम्र 39 वर्ष<br>16/3. चनणी पत्नी कौशला, उम्र 65 वर्ष<br>17. भल्लाराम पुत्र चेनाराम, उम्र 50 वर्ष<br>18. भैराराम पुत्र चेनाराम, उम्र 45 वर्ष<br>19. खुमाराम पुत्र चेनाराम, उम्र 35 वर्ष<br>20. इमरतीदेवी पत्नी चेनाराम, उम्र 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी हरदास नगर, पटवार हल्का उण्डू, भू. अ. नि. क्षेत्र कानासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। | **पन्नाराम के वारिसान– (1 से 7 तक)**<br>1. भैराराम पुत्र रामूराम, उम्र 60 वर्ष<br>2. दीपाराम पुत्र रामूराम, उम्र 52 वर्ष<br>3. चुनीदेवी पत्नी रामूराम, उम्र 82 वर्ष<br>4. सवाईराम पुत्र जेठाराम, उम्र 55 वर्ष<br>5. भूराराम पुत्र जेठाराम, उम्र 50 वर्ष<br>6. चन्दनमल पुत्र जेठाराम, उम्र 45 वर्ष<br>7. नेनूदेवी पत्नी जेठाराम, उम्र 80 वर्ष, जाति जाट, निवासी हरदास नगर, पटवार हल्का उण्डू, भू. अ. नि. क्षेत्र कानासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर।<br>8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिव जिला बाड़मेर(राज.) |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 105/2023 बउनवान हरीराम वगैरह बनाम भैराराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पों. संख्या 05 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

## –:निर्णय:–

दिनांकः–27.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 क, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मूल ग्राम उण्डू, वर्तमान राजस्व गांव हरदास नगर, पटवार हल्का उण्डू, भू. अ. नि. क्षेत्र कानासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 597 रकबा 96 बीघा 13 बिस्वा भूमि आयी हुई है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट्स का नाम हटाते हुए उक्त खसरे के खातेदारी अधिकारी म्यूटेशन संख्या 1675 दिनांक 30.09.1982 के जरिये खत्म कर दिये, उक्त खातेदारी अधिकार हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आलोच्य वाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 क, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मूल ग्राम उण्डू, वर्तमान राजस्व गांव हरदास नगर, पटवार हल्का उण्डू, भू. अ. नि. क्षेत्र कानासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 597 रकबा 96 बीघा 13 बिस्वा भूमि आयी हुई है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट्स का नाम हटाते हुए उक्त खसरे की खातेदारी अधिकारी म्यूटेशन संख्या 1675 दिनांक 30.09.1982 के जरिये खत्म कर दिये, उक्त खातेदारी अधिकार हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आलोच्य वाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय आनन–फानन में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का पर्चा लगान पनाराम पुत्र गेनाराम जो रेस्पों. संख्या 01 से 07 के पूर्वज थे, के नाम मोतीराम पुत्र तेजाराम जो अपीलांट संख्या 01 से 05 के पूर्वज थे के नाम फुसाराम पुत्र सिम्भु जो अपीलांट संख्या 6 से 20 के पूर्वज थे के नाम से जारी हुआ था। उक्त पर्चा लगान का खतौनी बंदोवस्त में इन्द्राज किया गया था। उपरोक्त पन्नाराम पुत्र गेनाराम का स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र रामूराम व जेठाराम वारिस बने तथा रामूराम का स्वर्गवास होने पर रेस्पों. संख्या 01 से 03 वारिस बने और जेठाराम का स्वर्गवास होने पर रेस्पों. संख्या 04 से 07 वारिस बने। मोतीराम पुत्र तेजाराम का स्वर्गवास होने पर लिक्षमणराम पुत्र मोतीराम वारिस बना जिसके नाम से म्यूटेशन संख्या 1676 पटवार हल्का द्वारा भरा गया। लिक्षमणाराम का स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र राउराम व अपीलांट संख्या 05 ठाकराराम वारिस बने। इसके अतिरिक्त फुसाराम पुत्र शंभूराम का स्वर्गवास हाने पर उसके वैध पुत्र जगराम, सोनाराम, कौशलराम और चैनाराम वारिस बने, जिनके नाम से म्यूटेशन संख्या 1675 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया। उक्त जगराम, सोनाराम, चैनाराम के वारिसान अपीलांट संख 06 से 20 है। उक्त म्यूटेशन संख्या 1675 जो वैद्य वारिसों की जांच कर उनका म्यूटेशन भरा गया था। किन्तु ग्राम पंचायत उण्डू के सरपंच ने प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के पूर्वज पनाराम के पुत्रों रामूराम व जेठाराम से मिलावट व सांठगांठ कर उसे फायदा पहुंचाने की नियत से बिना क्षेत्राधिकार के अपीलांट संख्या 06 से 20 के पूर्वज फूसाराम के वारिसान जगराम, सोनाराम, कोशलाराम, चैनाराम का नाम उक्त खसरे की खातेदारी से म्यूटेशन संख्या 1675 पर सरपंच ने नोट लगाकर मनमाने ढंग से दिनांक 30.09.1982 को हटा, दिया जो ग्राम पंचायत को हटाने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं था। पंचायत को किसी खातेदार का व उसके वारिसों का नाम खातेदारी से हटाने का अधिकार नहीं है, ऐसा अधिकार सहायक जिलाधीश में निहित होता है। ऐसी स्थिति में नियमित घोषणा के वाद के मार्फत अपीलांट उक्त पंचायत द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने से प्रारंम्भ से ही शून्य, अवैध ए वं निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स एवं उनके परिवार के सदस्यों का सेटलमेंट से पूर्व, सेटलमेंट के समय, सेटलमेंट के पश्चात् आज दिन तक अपीलांट्स का कब्जा, शांतिपूर्वक बिना किसी विवाद के चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार से परे जाकर पद का दुरूपयोंग करते हुए प्रश्नगत म्यूटेशन पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार विहिन पारित किया गया है। उक्तानुसार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

1- 2005(2)RLW(DB)1997
2- 2011 (1)RRT 171
3- 1994 RRD 659
4- 2023(4)CCC 125(ALL.)
5- 2017(2)RRT 1348
6- 2024(1)RRT 625
7- 2011(2)RRT 1298
8- 2019(1)CCC(SC)467
9- 2015(2)RLW(HC)950

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। वाद पत्र के कथनों में वास्तविकता सक्षम ऑथिरिटी के समक्ष वादीगण 16 एवं शेष वादीगण द्वारा सुनवाई के दौरान साक्ष्य बयानों व सक्षम ऑथिरिटी के समक्ष सहमति बयान के कथनों व वास्तविकता को छिपाकर दावा पेश किया है। तथ्यों को छिपा कर गलत तथ्यों के साथ वाद पेश किया था। वादीगण/अपीलांट न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। जहां तक म्यूटेशन का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि म्यूटेशन संख्या 1675 व 1676 को सक्षम ऑथिरिटी द्वारा पारित किया गया है। जो अंतिम निर्णय की श्रेणी में आता है। विधि अनुसार उक्त म्यूटेशन की अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये। किन्तु अपीलांट/वादीगण द्वारा अपील नहीं की जाकर आलौच्य वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रश्नगत म्यूटेशन को निष्प्रभावि करने हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिससे हस्तगत अपील विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रश्नगत म्यूटेशन वादी संख्या 16 व शेष वादीगणों की सहमति के आधार पर पारित किया गया है। लिखित बयान को आधार पर म्यूटेशन सक्षम ऑथिरिटी के द्वारा पारित किया गया है। जिसको अपीलांट/वादीगण द्वारा चुनौति नहीं दी गई है। राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन 1957 के द्वारा कानूनन ग्राम पंचायत को म्यूटेशन की कार्यवाही एवं सुनवाई हेतु विधिक अधिकार प्रदत्त किये गये थे, जिसके आधार पर ही उभयपक्ष की लिखित सहमति, साक्ष्य, बयानात मय शपथ पत्र के आधार पर प्रश्नगत म्यूटेशन पारित किया गया है। जो पूर्णतया विधि आधारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

धारा 188 के तहत केवल रेकार्डेड व काबिज–काश्त व्यक्ति ही दावा कर सकता है। उक्त प्रकरण में निषेधाज्ञा का वाद कारण भी उत्पन्न नहीं होता है। अपीलाधीन निर्णय वादीगण अपने स्वयं के एवं अपने पूर्वजों के द्वारा तत्समय प्रस्तुत साक्ष्य बयानों व शपथ पत्रों को छिपाकर पेश किया था इसलिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 की परिधि में वर्णित तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन एवं विधि द्वारा बाधित होने से खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

01. नामान्तरकरण प्रक्रिया राजस्थान में
02. राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को जारी विज्ञप्ति दिनांक 11.09.1957 व 09.09.1981 की अधिसूचना
03. 2023(2)DNJ(Rev.)1312
04. DNJ 2019(SC) 914
05. 2019(2)RRT 1176
06. 2019(1)RRT 268
07. 2023(2)DNJ
08. 2002(2)RRT 966
09. 2001(2)RRT 1139

पत्रावली व वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान गहनता से अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी/अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1675 व 1676 का ज्ञान होने के बावजूद नामान्तरकरण की सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देकर अपीलाधीन वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी का वाद कारण उत्पन्न नहीं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। लम्बी अवधि गुजर जाने पर भी म्यूटेशन की अपील किसी सक्षम न्यायालय में नहीं कर उद्घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया गया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 105/2023 बउनवान हरीराम वगैरह बनाम भैराराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2025 को यथावत रखा जाता है।

27/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर